अनवान जसवीर सिंह बनाम गुरविन्द्र सिंह व अन्य
वाद पत्र संख्या 158/2018

21.11.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2024 समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं 02 ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – वादी द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद में जो साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया है एवं उसमें वाद से बाहर जाकर नये तथ्य अंकित किये है कि असल दस्तावेज विक्रय पत्र तलाश करने पर मिकर का नहीं मिला, जबकि वाद में यह तथ्य अकिंत नहीं है।

विधिक रूप से साक्ष्य शपथ पत्र में वाद से बाहर जाकर नये तथ्य अकिंत नहीं किये जा सकते है एवं अगर असल दस्तावेज वादी के कब्जा में नही है तो इसके लिए वादी को दावा में उक्त बाबत संशोधन करवाना तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार असल दस्तावेज के अभाव में प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि असल दस्तावेज प्रस्तुत किये विना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के आदेश देने की कृपा करें एवं अन्य कोई न्यायसंगत आदेश हो तो वह प्रार्थी के पक्ष में प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– वादी ने वाद से बाहर जाकर नया तथ्य शपथ–पत्र में अंकित नहीं किया हैं। विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वादी ने पेश की हैं। साक्ष्य अधिनियम अनुसार प्रमाणित प्रति दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। वाद में संशोधन करवाने की कोई आवश्यकता नही है।। प्रार्थना पत्र निराधार है। अप्रार्थी ने जानबुझकर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। साक्ष्य वादी में गवाह निरन्तर आ रहा है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी का आवेदन पत्र खारिज किया जाकर जिरह का अवसर बन्द किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/ वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019-=(2019) 196 AIC 494: (2018) 2 Civ CC 54 : (2018) 2 DNJ 823 : (2018) 3 ICC 42 : (2018) 2 WLC (Raj)UC 596 : (2018) 4 WLN 70

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली में दस्तावेजात बैयनामा की जिला पंजीयन अभिलेखागार, श्रीगंगानगर से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हुई है। उपरोक्त दृष्टांतों के आलोक में Private document which are kept as public records by State shall form public documents and such public document are admissible as secondary evidence. अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त जवाब प्रार्थनापत्र पर चस्पा होते है।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 26.11.2024 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:59:03 IST
Reason: SelfAttested